बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक 24.8.12 ~~जुलाई~~, 2012

संख्या–7/स्था0–1–3–01/2010सा0प्र0...11838....../भारत संविधान के अनुच्छेद 233 सहपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना की अनुशंसा पर निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

संशोधन

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** ।–(1) यह नियमावली, बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2012 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 01 जनवरी, 2011 के प्रभाव से प्रवृत होगी ।

2. **नियमावली 1951 के नियम 5 का संशोधन** ।– उक्त नियमावली के नियम–5 के खंड (ग) के उपखंड (i) एवं (ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"(i) असैनिक न्यायाधीशों (वरीय कोटि) की प्रोन्नति से 65 प्रतिशत पद मेधा–सह–वरीयता के सिद्धांत पर भरे जायेंगे ।

(ii) पटना उच्च न्यायालय द्वारा संचालित, पाँच वर्षों से अन्यून अर्हक सेवा वाले असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के मेधा के आधार पर 10 प्रतिशत पद भरे जायेंगे ।"

3. **नियमावली 1951 के नियम का संशोधन** ।– (i) उक्त नियमावली के नियम 16 के खंड (ड॰) में शब्द "प्रोन्नति द्वारा 50 % " एवं "सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा 25 % " शब्द "प्रोन्नति द्वारा 65 % " एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा 10 % " द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

(ii) उक्त नियमावली के नियम 16 के खंड (ड॰) के स्पष्टीकरण को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"स्पष्टीकरण– सम्वर्ग के लिए 20 (बीस) बिंदुओं का रोस्टर निम्न प्रकार होगा :–

(1) प्रोन्नति द्वारा, 65 % (प्रतिशत) पदो के लिए–1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18 एवं 19

(2) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा, 10 % (प्रतिशत) पदो के लिए–7 एवं 15

(3) उच्च न्यायालय, पटना द्वारा संचालित लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर पात्र अधिवक्ताओं की सीधी नियुक्ति से 25 % (प्रतिशत) पदो के लिए 4,8,12,16 एवं 20.

किसी भी रोस्टर बिन्दु की रिक्ति, पद की उस कोटि से भरी जायेगी जो रोस्टर से संबंधित हो" ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सिद्धनाथ राम)
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक–7 / स्था0–1–3–01 / 2010सा0प्र0.11838... / पटना–15, दिनांक 24.8.12 ~~जुलाई~~, 2012

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (दो प्रतियों में) गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. कृप्या अधिसूचना की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ।

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक–7 / स्था0–1–3–01 / 2010सा0प्र0.11838.... / पटना–15, दिनांक 24.8.12 ~~जुलाई~~, 2012

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव के निजी सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव ।

Government of Bihar
Geneal Administration Department
<u>NOTIFICATION</u>

Patna, Dated 24·8·12 ~~July~~, 2012

No-7/Astha-1-3-01/2010-G.A.D.- 11838 . . / In exercise of the powers conferred by Article-233 of the Constitution of India read with the proviso to Article-309, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Bihar Superior Judicial Service Rules, 1951 on the recommendations of Hon'ble Patna High Court, Patna.

1. **Short title, extent and commencement**. –(1) These rules shall be called the Bihar Superior Judicial Service (Amendment) Rules, 2012;
   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar;
   (3) It shall come into force with effect from 1st January, 2011
2. **Amendment of Rule- 5 of Rules 1951 :-** The sub clause (i) & (ii) of clause- (c) of Rule- 5 of the said Rules shall be substituted by the following :-
   "(i) 65 percent of posts shall be filled by promotion from amongst the Civil Judges (Senior Division) on the principles of merit-cum- seniority.
   (ii) 10 percent of the posts shall be filled on the basis of merit through Limited Competitive Examination of Civil Judges (Senior Division) having not less than five years of qualifying service, conducted by the High Court of Judicature at Patna."
3. **Amendment of Rule- 16 of Rules 1951:-** (i) In clause (e) of Rules 16 of the said Rules the word "50% by promotion" and "25% by limited competitive examination" be substituted by the word "65% by promotion" and "10% by limited competitive examination" respectively.
   (ii) The Explanation to clause (e) of Rule-16 of the aforesaid Rules shall be substituted by the following :-

<u>"Explanation</u>- The 20 point roster of the cadre will be as follows :-
(1) For 65% of the posts-1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18 & 19 by promotion,
(2) For 10% of posts-7 & 15 by Limited Competitive Examination,
(3) For 25% of posts-4, 8, 12, 16 &20 direct recruitment from amongst eligible advocates on the basis of Written and Viva-Voce test conducted by the High Court of judicature at Patna.

The vacancy of any roster point has to be filled from amongst the category to which the post belongs in the roster."

By Order of the Governor of Bihar,
(Sidhnath Ram)
Under Secretary to the Govt.

Memot No.- 7/Astha-1-3-01/2010-G.A.D 11838. Patna-15, dated24-8 ~~July~~, 2012

Copy forwarded to the Suprintendent Government Press, Gulzarbagh. Patna for publication Extra Ordinary of Government Gazette.

2. Kindly send 1,000 (one thousand) copy of this notification to the General Administration Department, Bihar, Patna at once.

Under Secretary to the Govt.

Memot No.- 7/Astha-1-3-01/2010-G.A.D 11838./Patna-15, dated24-8 ~~July~~, 2012

Copy forwarded to Accountant General, Bihar, Patna /Registrar General, High Court, Patna/All Department/All Head of the Department/Bihar Public Service Commission, Patna/All District & Session Judge/All Additional District & Session Judge/Principal Private Secretary to Chief Secretary, Bihar, Patna/Personal Assistant toPrincipal Secretary, General Administration Department, Bihar, Patna/Section Officer, Section-3, General Administration Department, Bihar, Patna/I.T. Manager, General Administration Department, Bihar, Patna for information and necessary action.

Under Secretary to the Govt.